न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/2942/2020/करौली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करौली।

प्रार्थी........

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्रीचंद
2. रत्तीराम पुत्र श्रीचंद
3. मंगल पुत्र श्रीचंद
4. रामखिलाड़ी पुत्र श्रीचंद
5. कमल पुत्र श्रीचंद
6. गजल्ली पुत्र श्रीचंद
7. हंसराज पुत्र बुद्धू
8. लीला पुत्री बुद्धू
9. सुआ पुत्री बुद्धू
10. माया पुत्री बुद्धू
11. पानो पत्नि बुद्धू

समस्त जाति मीना निवासी बाजीदपुर तहसील करौली।

12. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा करौली
13. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा करौली
14. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कैलादेवी

अप्रार्थीगण.......

एकलपीठ

श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

निर्णय

दिनांकः 04.07.2023

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, करौली के द्वारा अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 10–02–2020 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया कि आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा ग्राम बाजीदपुर तहसील करौली का प्रार्थी खातेदार है। आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा ग्राम बाजीदपुर संवत 2015 एवं इसके पश्चात गैर मुमकिन नाला के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। परंतु जमाबंदी संवत 2019–23 के खाता संख्या 91 किस्म गैर मुमकिन नाला से हरपाल पुत्र हरदेव जाति मीना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 में मांगीलाल, रत्तीराम, मंगल, रामखिलाड़ी, कमल, गजल्ली पि0 श्रीचंद, हंसराज पुत्र बुद्धू, लीला, सुआ, माया पुत्रियां बुद्धू, पानो पत्नि बुद्धू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है। उक्त इन्द्राज नियम विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। गै0मु0 अंगोर/नदी/नाला/तालाब/जल प्रवाह भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और प्रश्नगत आराजी के किए गए इन्द्राज को निरस्त कर प्रश्नगत आराजी को पूर्व अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित करने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नदी, नाला, झील, बॉध–तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि दर्ज थी। उक्त आराजी को अविधिक रुप से किस्म परिवर्तित कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। ये समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये हैं। गै0मु0 अंगोर, नदी–नाले, पोखर आदि की भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति

यथावत रखी जानी चाहिए। अतः विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये।

5. हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा ग्राम बाजीदपुर तहसील करौली का प्रार्थी खातेदार है। आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा ग्राम बाजीदपुर संवत 2015 एवं इसके पश्चात गैर मुमकिन नाला के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। परंतु जमाबंदी संवत 2019–23 के खाता संख्या 91 किस्म गैर मुमकिन नाला से हरपाल पुत्र हरदेव जाति मीना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 में मांगीलाल, रत्तीराम, मंगल, रामखिलाड़ी, कमल, गजल्ली पि0 श्रीचंद, हंसराज पुत्र बुद्धू, लीला, सुआ, माया पुत्रियां बुद्धू, पानो पत्नि बुद्धू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में दर्ज है। उक्त इन्द्राज नियम विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 तालाब की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मुमकिन अंगोर, नदी–नाला, तालाब'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

> **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-
> (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

> **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-**
> Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
>
> (iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 नाला की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। अतः इस प्रकार की भूमियां न तो तहत किन्हीं व्यक्तियों को निजी आवंटन/नियमन की जा सकती है और इस श्रेणी की भूमियों में निजी खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः-

> *All land shown as drainage channels like nalla rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.*

उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में विद्वान जिला कलक्टर द्वारा मण्डल को सबंधित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल व त्रुटि नहीं की है। अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. उपरोक्त समस्त विधिक आधारों व संपुर्ण विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के खाते में अंकित विवादग्रस्त आराजी को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिला नाम सरकार गैर मुमकिन नाला दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य